समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता हमे अनेक बीमारियों से बचाती है

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्लम बस्तियों में स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों ने नागरिकों को दी समझाईश

रतलाम 19 फरवरी । अस्सी प्रतिशत बीमारियां अस्वच्छता एवं दूषित वातावरण से होती हैं। व्यक्ति अपनी आमदनी का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा दवा पर खर्च करता है। बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखना अति आवश्यक है। यह सभी के सहयोग से ही संभव हैए क्योंकि गंदगी ही सभी बीमारियों का मूल कारण है। स्वच्छता हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जरूरी है। हर बीमारी से स्वच्छता ही हमें बचाती है। बीमारियों से बचाव के लिए अपने घरों व आसपास के क्षेत्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है।

उक्त सलाह और समझाईश शुक्रवार को शहर के दिलीप नगरएअर्जुन नगर और बजरंग नगर सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के रहवासियों की उपस्थिति में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.मीना वर्मा और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.देवेन्द्र शाह ने दी है।

वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपस्थित क्षेत्र के रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए कहां कि इसलिए बचाव उपचार से बेहतर है। यदि हम ठीक से अपने घर कीए अपने मोहल्ले की और अपने शहर की सफाई का उचित ध्यान रखें तो बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। इनमें से मुख्य रूप से बुखारए मलेरियाएअतिसारए मोतीझरा गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस (आंत्र शोध)ए पेचिशए पीलियाए हैजाए पेट में कीड़े जैसे पेट सम्बन्धी रोग या चमड़ी व आँख के विभिन्न संक्रमण हैं।

शुक्रवार को आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत परियोजना क्रमांक-1 की वरिष्ठ पर्यवेक्षक सुश्री हेमलता गेहलोतए डॉ.मीना वर्माए डॉ.देवेन्द्र शाहए डॉ. पंकी बोरीवालए डॉ.नेहा वर्माए डॉ.नेहा सिंह और समाजसेवी हेमलता तपस्या उपस्थिति रहे।

स्पर्धाओं में आमना और अनुपम ने बाजी मारी

स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान निबंधए चित्रकलाए रांगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन स्पर्धाओं में बेहतर प्रस्तुति देने वाले प्रतियोगी आमना कुरैशीए सुल्ताना कुरैशीए संगीता चौहानए भारती तोमरए निकहत खानए शीरीन खानए मायाए पूनमए आलियाए शबीनाए सोनूए कार्तिक शर्माए

खुशी तोमरए सीमाए नाहिदए निकताए मनीषा और अनुपम आदि को अति थयों ने पुरुस्कृत भी कया।
इस मौके पर सफाई मत्र समूह ने उपस्थितजनों को पेम्पलेट वतरित करते हुए फीडबैक में भी सहयोग कर नगर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने का आव्हान कया है।
उपस्थित नागरिकों ने ये लए संकल्प अपने आस-पास रखे कूड़ेदान का प्रयोग करने के लये लोगों को बतायेंए गंदगी नहीं फैलाएंगे और ऐसा करने वालों को वनम्रता पूर्वक रोकने का प्रयास करेंगेए सोशल मी डया के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाये रखने संबंधी अ भयान चलाएंगेए पानए गुटका और तम्बाकू जैसे उत्पादों का सेवन करने वालों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगेए सरकारीएगैरसरकारी संस्थानोंए स्कूलोएसार्वजनिक इलाकोंए मौहल्लोंए कालोनियोंए बागीचों और घरों में स्वच्छता बनाये रखने के लए लोगों को श क्षत बनाएंगेए स्वच्छता के लए ना लयों की गंदगीए नालोएतालाबों के आस-पास जमे कूड़े-करकटए सडकों की सफाई करेंगे।

निगम कर्मचारी षत-प्रतिषत टीका लगवाकर नगर निगम रतलाम को नम्बर 1 बनायें
निगम आयुक्त श्री झारिया ने वभागवार टीकाकरण की समीक्षा की
आज भी लगाये जायेंगे दो स्थानों पर टीके
रतलाम 19 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम सभागृह में वभाग प्रमुखों की बैठक लेकर निगम कर्मचारियों को लगाये गये टीके की वभागवार समीक्षा की।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में कहा की व भन्न वभागों के षेश रहे लगभग 450 कर्मचारी 20 फरवरी को अनिवाये रूप से डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल पर उपस्थित होकर टीका लगवायें व टीकाकरण अ भयान में नगर निगम रतलाम को नम्बर 1 बनायें। नगर निगम के 2033 कर्मचारियों में से अब तक 1464 कर्मचारी कोरोना का टीका लगवा चुके है।
कर्मचारियों की सु वधा हेतु 20 फरवरी षनिवार को भी डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल पर कोरोना का टीका प्रातः 08ःः30 बजे से लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी अपने नजदीकी स्थल पर आधार कार्डए मतदाता परिचय पत्रए पेन कार्डए ड्राय वंग लायसेंस आदि के साथ उपस्थित

होकर कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगवाये इस कार्य में कसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री एम.के. जैनए प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाष आचार्यए निगम स चव श्री जसवंत जोषीए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए बी.एल. चौधरीए राजेष पाटीदारए ब्रजेष कुषवाहए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र षर्माए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री अनिल पाराए वार्ड दरोगा आदि उपस्थित थे।

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

राम मंदिर क्षेत्र में दुकानदारो व फुटकर व्यवसायियों से जब्त की पॉलीथीन

रतलाम 19 फरवरी । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000६ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा राम मंदिर क्षेत्र में दुकानदारए फुटकर व्यवसायियों व सब्जी वक्रताओं से 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन जब्त कर भ वश्य में उपयोग ना करने की समझाईष दी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें

कचरा पात्र नहीं रखने पर फुटकर वक्रेताओं पर कया जा रहा है जुर्माना

गंदगी फैलाने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 24 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 19 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकोंए दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है कन्तु नगर के सब्जीए फल-फुरट सहित अन्य

सामग्री के फुटकर वक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार भु ा बाजारए घांस बाजारए चौमुखी पुलए चांदनी चौक व राम मंदिर क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत वष्वमंगल दुध डेरी पर 500ए बुरहानी जनरल स्टोरए मोहम्मद जनरल स्टोरए छावनीवालाए मुबारक पर 250.250ए बसंतश्रीए वृदांवन बेकरीए राठौर नमकीन पर 100.100ए गंगाबाईए बसंतीबाईए संगीताए र व चौधरीए कन्नोबाईए हुदीबाईए नन्दीबाईए सुनीताबाईए हुरी मॉए कालू बाथमए कमलए रेषमाबाईए गोपालए षव गंगाए सु मत्रा व लीलाबाई पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईष दी गई।

कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में गंदगी करने पर जमीन पर बैठकर व्यवसाय करने वालो पर 50 रूपये व ठेलागाड़ी पर व्यवसाय करने वालो पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन कये जाने के साथ ही सामग्री भी जब्त की जावेगी।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री एम.के. जैनए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्व जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्व होगी कार्यवाही

रतलाम 19 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

बोहरा बाखल में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर
नागरिकों ने 32ए68ए144ध् संपत्तिकर व 7ए13ए535ध् जलकर जमा कराया

रतलाम 19 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ध् व जलकर 6ए000ध्ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ध् व जलकर 55ए775ध्ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्वि िर में संपत्तिकर 2ए38ए000ध् व जलकर 49ए010ध्ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध् व जलकर 43ए670ध्ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ध् व जलकर 29ए280ध्ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ध् व जलकर 19ए850ध्ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध् व जलकर 48ए220ध्ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध् व जलकर 14ए000ध्ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध् व जलकर 86ए540ध्ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध् व जलकर 3ए76ए905ध्ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध् व जलकर 76ए470ध्ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000ध् व जलकर 47ए595ध्ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध् व जलकर 22ए680ध्ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644ध् व जलकर 55ए320ध्ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000ध् व जलकर 59ए500ध्ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144ध् व जलकर 6ए71ए025ध्ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000ध् व जलकर 19ए000ध्ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000ध् व जलकर 64ए780ध्ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए88ए000ध् व जलकर 35ए730ध् की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेे ने अब तक आयोजित ष वरों मेंे 32ए68ए144ध् संपत्तिकर व 7ए13ए535ध् जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लये 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के

पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है। निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

667 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 19 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 19 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 667 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 19 फरवरी को सैलाना रोडए अलकापुरी से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त
120 दिनों में 147 वॉल्व व 831 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 19 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 19 फरवरी तक 147 वॉल्व व 831 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।
‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 19 फरवरी शुक्रवार को सुतारो का वासए जय भारत नगरए शास्त्री नगरए मोचीपुराए करमदी रोडए सैनिक कालोनीए मुखर्जी नगरए ओसवाल नगरए जवाहर नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 19 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।
नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 19 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।
स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत

का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 19 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/19ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.